प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना में 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0-2.10 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3310-11/बजट/2022-23 दिनांक 15.03.2023 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-596/ई-1/दस-2023, दिनांक-23.03.2023 पृष्ठांकन संख्या-193/58-2-2023, दिनांक-24.03.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में हो रही बचत धनराशि रू0-5.00 लाख के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धनराशि रू0-2.10 लाख (रूपया दो लाख दस हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) व्यय की गयी धनराशि का औचित्य/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

(6) उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-**1-454**/दस-**2022-231/2022**, दिनांक: 07.06.2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

-2 इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,10,000 (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-010 लेखाशीर्षक 2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2023/193(1)/58-2-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in